

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 86/2023

GCMS NO. 2023/247

मन बाई पत्नी छतुसिंह जाति राजपुत उम्र 83 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 6 सिहोड तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान

.....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

.....अप्रार्थी

—: निर्णय :-

दिनांक :- 20.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता -

प्रार्थी की ओर - श्री आलोक मान अधिवक्ता

अप्रार्थी की ओर - तहसीलदार खेतड़ी

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत खाता दुरुस्ती पेश किया गया है कि वाके ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 234 के हाल खसरा नम्बर 561 रकबा 0.11 है., खसरा नंबर 562 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 563 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 565 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 566 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 567 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 568 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 569 रकबा 0.25 है. किता 9 कुल रकबा 1.68 है. तथा वाके ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 97 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.09 है., तथा ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 235 के हाल खसरा नम्बर 434 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 435 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 436 रकबा 0.74 है. किता 3 कुल रकबा 1.23 है. प्रार्थीया की संयुक्त खातेदार है। प्रार्थीया का सही नाम मन बाई पत्नी छतु सिंह है लेकिन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम मगन कंवर पत्नी छतुसिंह दर्ज हो गया। जबकि उसके समस्त लोक दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आडी, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में सही नाम मन बाई पत्नी छतु सिंह है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम नाम दर्ज होने से प्रार्थीया को भारी पेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्व रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम अलग अलग दर्ज होने से प्रार्थीया को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में परेशानी होतही है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वाके ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 234 के हाल खसरा नम्बर 561 रकबा 0.11 है., खसरा नंबर 562 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 563 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 565 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 566 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 567 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 568 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 569 रकबा 0.25 है. किता 9 कुल रकबा 1.68 है. तथा वाके ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 97 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.09 है., तथा ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 235 के हाल खसरा नम्बर 434 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 435 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 436 रकबा 0.74 है. किता 3 कुल रकबा 1.23 है. में प्रार्थीया का नाम मगन कंवर पत्नी छतु सिंह के स्थान मन बाई पत्नी छतु सिंह दर्ज किया जाये।



उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी



प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./2024/4022 दिनांक 12.09.2024 के द्वारा स्पष्ट अभिशांषा कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थीया का नाम मगन कंवर पत्नी छतु सिंह के स्थान मन बाई पत्नी छतु सिंह दुरुस्त किया जावें।

प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेंशन दस्तावेज की प्रतिलिपि तथा ग्राम पंचायत सिहोड का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व तहसीलदार खेतड़ी की स्पष्ट अभिशांषा तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया। अतः न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः वाके ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 234 के हाल खसरा नम्बर 561 रकबा 0.11 है., खसरा नंबर 562 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 563 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 565 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 566 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 567 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 568 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 569 रकबा 0.25 है. किता 9 कुल रकबा 1.68 है. तथा वाके ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 97 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.09 है., तथा ग्राम सिहोड तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073-2076 के खाता संख्या 235 के हाल खसरा नम्बर 434 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 435 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 436 रकबा 0.74 है. किता 3 कुल रकबा 1.23 है. में प्रार्थीया का नाम मगनकंवर पत्नी छतुसिंह के स्थान "मन बाई उर्फ मगनकंवर पत्नी छतु सिंह" दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार खेतड़ी को आदेशित किया जात है कि तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खातों की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो। उक्तानुसार तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

यह निर्णय आज तारीख 20.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर मेरे-हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी